संख्या- 10/2019/682/बयालिस-2019-05(बजट)/2019

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 13 मार्च, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में 01 वेतन मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 1606/2018-19, दिनांक 25 फरवरी, 2019 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न बी0एम0- 9(भाग- 1) प्रपत्र संख्या- 566/बयालिस-2019, दिनांक 12 मार्च, 2019 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 155.00 लाख (रू0 एक करोड पचपन लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि वेतन मद में करते हुए उक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 155.00 लाख (रू0 एक करोड पचपन लाख मात्र) निदेशक, खेल के निर्वतन पर रखी जायेगी । उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2018-19 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी ।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खेलकूद निदेशालय 01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता व 06-अन्य भत्ते मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 682(1)/बयालिस-2019-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1(तीन प्रतियों में)/2
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
7- नियोजन अनुभाग- 4
8- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0 एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम :- अनुदान संख्या-22 वित्तीय वर्ष 2018-19

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद 36-एकलव्य क्रीड़ा कोष 42-अन्य व्यय 220400104360042	2034.82	155.00	155.00	155.00	1879.82
कुल योग	**2034.82**	**155.00**	**155.00**	**155.00**	**1879.82**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खेलकूद निदेशालय 01-वेतन 220400001030001	2513.10	2631.31	118.21	118.21	2631.31
03-महंगाई भत्ता 220400001030003	251.31	279.46	28.15	28.15	279.46
06- अन्य भत्ते 220400001030006	96.00	104.64	8.64	8.64	104.64
कुल योग	**2860.41**	**3015.41**	**155.00**	**155.00**	**3015.41**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद 36-एकलव्य क्रीड़ा कोष 42-अन्य व्यय मद में रू0 160.00 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खेलकूद निदेशालय 01-वेतन मद में रू0 2513.10 लाख, 03-महंगाई भत्ता मद में रू0 251.31 लाख एवं 06-अन्य भत्ते मद में रू0 96.00 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी की मांग के अनुसार माह फरवरी, 2019 के वेतन एवं वेतन एरियर के भुगतान हेतु 01-वेतन मद में रू0 118.21 लाख, 03-महंगाई भत्ता मद में रू0 28.15 लाख एवं 06-अन्य भत्ते मद में रू0 8.64 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।

(3)- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- आरई- 588/ई-5-329/दस-2019, दिनांक- 12 मार्च, 2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव,
वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग- 5

संख्या- 566/बयालिस-2019-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संबधित विभागाध्य (नियंत्रक अधिकारी)
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in